क्रमांकः– डी0बी0 / एस0एल0एन0 (ग्रा0म0सं0पु0यो0) / 2025–26.....1913 to 1949
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।

प्रेषित,

समस्त पंचायत सचिव,
विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।

दिनांकः– सोलन 25-जून, 2025

विषयः– **Regarding implementation of Grameen Mahila Sangathan Puraskar Yojna.**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर जिला विकास अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास विभाग, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 के कार्यालय पत्र संख्या RDA-7-4-Grameen Mahila Sangathan Puraskar Yojna-1/2025-1459-1464 दिनांक 17–06–2025 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024–25 के लिए महिला मण्डल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को महामहिम राज्यपाल द्वारा संशोधित कर **"ग्रामीण महिला संगठन पुरस्कार योजना"** के रूप में अधिसूचित किया है जिसके अर्न्तगत गांवों की ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल स्थिति को बनाये रखने, स्वच्छता परिसम्पत्तियों के संचालन और रखरखाव, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और एस0बी0एम0–जी0 के अन्तर्गत विज्यूअल स्वच्छता और स्वयं सहायता समूहों / महिला मण्डलों के बीच सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूहों / महिला मण्डलों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड के 11 म0म0 / एस0एच0जी0 को पुरस्कृत (सर्वश्रेष्ठ म0म0 / एस0एच0जी0 को 30000 रू0, 02 म0म0 / एस0एच0जी0 को 25000 रू0 प्रति, 02 म0म0 / एस0एच0जी0 को 20000 रू0 प्रति, 02 म0म0 / एस0एच0जी0 को 15000 रू0 प्रति, 02 म0म0 / एस0एच0जी0 को 12000 रू0 प्रति व 02 म0म0 / एस0एच0जी0 को 10000 रू0 प्रति **कुल 194000 / –रू0**) किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक–एक स्वयं सहायता समूह / महिला मण्डल जिन्होंने उक्त कार्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है, को 6500 / –रू0 की प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई जायेगी।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप अपनी–2 पंचायत में स्वयं सहायता समूहों / महिला मण्डलों से जिन्होने स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अर्न्तगत उक्त घटकों पर अच्छा कार्य किया है, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र भरवाकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सहित दिनांक 29–06–2025 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रपत्र में कार्य प्रगति रिर्पोट 01–04–2024 से 31–03–2025 तक की ही भरी जाये। प्रपत्र में महिला मण्डल पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें। दिनांक 30–06–2025 के बाद स्वयं सहायता समूहों / महिला मण्डलों से प्रपत्र नही लिये जायेंगे।

इसे अति आवश्यक समझें।

25/06/2025
खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

पृष्ठांकन संख्याः–यथोपरि। 1950 – 1952 दिनांकः– 25-06-2025

प्रतिलिपीः–1 जिला विकास अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास विभाग, सोलन, जिला सोलन हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ।
2 समस्त प्रधान, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 को सूचनार्थ।
3 समस्त प्रधान, स्वयं सहायता समूह / महिला मण्डल, विकास खण्ड सोलन को सूचित किया जाता है कि वे अपनी–अपनी पंचायत के सचिव से उक्त योजना का प्रपत्र लेकर दिनांक 01–04–2024 से दिनांक 31–03–2025 तक की प्रगति रिपोट भरकर पंचायत सचिव की रिपोर्ट लगवाकर प्रपत्र 29–06–2025 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर भिजवाना सुनिशिचित करें।

25/06/2025
खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

**प्रपत्र**

**ग्रामीण महिला संगठन पुरस्कार योजना"**

| कमांक | पैरामीटर | अधिकतम अंक | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम सभा में म0म0/एस0एच0जी0 सदस्यों की सकिय भागीदारी और जी0पी0डी0पी0 में भागीदारी | | |
| (क) | म0म0/एस0एच0जी0 की सिफारिश के बाद जी0पी0डी0पी0 में लिये गये कार्यों की संख्या यानि कुल कार्यों का 50 प्रतिशत तक | 05 | |
| (ख) | कुल कार्यो का 75 प्रतिशत तक | 07 | |
| (ग) | कुल कार्यो का 75 प्रतिशत से अधिक | 10 | |
| | उप योग | 10 | |
| 2 | गांव में स्वच्छता कवरेज बढ़ाने के लिये पंचायत अभियान में म0म0/एस0एच0जी0 की भागीदारी | | |
| (क) | 01 से 02 अभियान | 05 | |
| (ख) | 03 से 05 अभियान | 07 | |
| (ग) | 05 अभियान से अधिक | 10 | |
| | उप योग | 10 | |
| 3 | गांवों को ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल बनाने और बनाये रखने में म0म0/एस0एच0जी0 की भागीदारी | | |
| (क) | यदि ग्राम पंचायत के सभी गांवों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण की व्यवस्था निरन्तर हो | 10 | |
| (ख) | यदि ग्राम पंचायत ने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये उपनियम तैयार किये हैं और स्वच्छता उपयोगकर्ता शुल्क लगाया है | 10 | |
| | उप योग | 20 | |
| 4 | यदि म0म0/एस0एच0जी0 गांवों में स्वच्छता उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में शामिल है, फिर वार्षिक संग्रह दक्षता के अनुसार अंक दिये जाते हैं | | |
| (क) | 50 प्रतिशत से अधिक संग्रह | 05 | |
| (ख) | 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह | 07 | |
| (ग) | 90 प्रतिशत से अधिक संग्रह | 10 | |
| | उप योग | 10 | |
| 5 | ठोस अपशिष्ट के घर-घर जाकर संग्रहण में म0म0/एस0एच0जी0 की भागीदारी | | |
| (क) | यदि म0म0/एस0एच0जी0 गांव में ठोस अपशिष्ट का संग्रहण डोर टू डोर कार्य में शामिल नहीं है | 0 | |
| (ख) | यदि म0म0/एस0एच0जी0 गांव में घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने में शामिल है | 20 | |
| | उप योग | 20 | |
| 6 | जल स्वच्छता और मासिक धर्म स्वच्छता में म0म0/एस0एच0जी0 की भागीदारी-अपशिष्ट सम्बन्धी गतिविधियां | | |
| (क) | यदि म0म0/एस0एच0जी0 ने मासिक धर्म स्वच्छता और स्वच्छता अपशिष्ट निपटान के लिये अभियान का आयोजन किया है/उसमें भाग लिया है | 05 | |
| (ख) | यदि म0म0/एस0एच0जी0 ने गांव में जल निकायों की सफाई के लिये अभियान का आयोजन/भागीदारी की है | 05 | |
| (ग) | यदि म0म0/एस0एच0जी0 ने जल परीक्षण के लिये जे0एस0वी0 के साथ काम किया है | 05 | |
| | उप योग | 15 | |
| 7 | गांव में ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्थानों की सफाई में भागीदारी/संगठन | | |
| (क) | नहीं | 0 | |
| (ख) | हां | 10 | |
| | उप योग | 10 | |
| | **कुल योग** | **100** | |

नोटः-उक्त गतिविधियों/कार्यों की फोटो व प्रमाण पत्र संलग्न करें।

प्रधान व सचिव के हस्ताक्षर मोहर सहित
स्वयं सहायता समूह/महिला मण्डल
ग्राम पंचायत..........................
एस0एच0जी0 कोड/म0म0 पंजीकरण संख्या.........
मोबाईल नं0.........................................

पंचायत सचिव की रिपोर्ट